

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल-तिजारा  
(राजस्थान)**

प्रार्थना पत्र संख्या

12/35/2024

प्रवेश तिथि

12-06-2024

निर्णय दिनांक

02.04.2025

1-सरकार जयें प्रशान्त यादव प्रवर्तन निरीक्षक मुख्यालय अलवर हाल, खैरथल-तिजारा  
जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थी

**बनाम**

2-नसीम पुत्र मोहम्मद हारून निवासी मकान न0 2 ग्राम सिकरावा प्लॉट न0 5  
तहसील पुन्हाना जिला मेवात हरियाणा।

3-जावेद पुत्र फतेहमोहम्मद ग्राम सिकरावा प्लॉट न0 5 तहसील पुन्हाना जिला मेवात  
हरियाणा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु  
अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम  
गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के  
तहत क्षमता 14.02 किलोग्राम के 20 एलपीजी  
सिलेण्डर्स को राजसात किये जाने बाबत।

उपस्थित:-

1-विभागीय प्रतिनिधि

जिला रसद अधिकारी

---:: निर्णय ::---

प्रशान्त यादव प्रवर्तन निरीक्षक मुख्यालय अलवर हाल, खैरथल-तिजारा जिला  
खैरथल-तिजारा (राजस्थान) की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक  
वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण  
विनियमन) आदेश 2000 तहत क्षमता 14.02 किलोग्राम के 20 एलपीजी सिलेण्डर्स को  
राजसात किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया  
गया है, कि दिनांक 19.10.2012 को पुलिस थाना भिवाडी से घरेलू गैस सिलेण्डर्स के  
अवैध क्रय विक्रय किये जाने व 20 घरेलू गैस सिलेण्डर्स के पकडने की सूचना मिलने  
पर प्रवर्तन स्टॉफ का जाँच दल पुलिस थाना भिवाडी में वास्ते जाँच हेतु पहुँचा। मौके  
पर अप्रार्थीयान नसीम पुत्र मोहम्मद हारून निवासी मकान न0 2 ग्राम सिकरावा प्लॉट  
न0 5 तहसील पुन्हाना जिला मेवात हरियाणा, जावेद पुत्र फतेहमोहम्मद ग्राम सिकरावा  
प्लॉट न0 5 तहसील पुन्हाना जिला मेवात हरियाणा द्वारा एक गाडी बिना नम्बर की  
पिकअप मैक्स में 19 घरेलू गैस सिलेण्डर्स भरे एवं 1 गैस सिलेण्डर खाली पाया गया,  
जो घरेलू गैस सिलेण्डस का अवैध रूप से परिवहन करने, अवैध रूप से भण्डारण व  
खरीद फरोक्त में लिप्त पाए जाने एवं वक्त जाँच मौके पर उक्त 20 सिलेण्डर्स के  
दस्तावेजावेज प्रस्तुत नहीं करने पर एलपीजी कन्ट्रोल ऑर्डर 2000 का स्पष्ट उल्लंघन  
है, उक्त आदेश की अवहेलना पाये जाने पर मौके से 20 एलपीजी सिलेण्डर्स 19  
सिलेण्डर्स भरे सीलशुदा व 1 खाली को जप्त सरकार किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से  
मैसर्स भिवाडी इण्डेन गैस सर्विस को सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर उक्त सभी घरेलू  
गैस सिलेण्डर्स से संबंधित गैस कागजात अप्रार्थीयान नसीम पुत्र मोहम्मद हारून  
निवासी मकान न0 2 ग्राम सिकरावा प्लॉट न0 5 तहसील पुन्हाना जिला मेवात

५  
जिला मजिस्ट्रेट  
खैरथल-तिजारा

हरियाणा, जावेद पुत्र फतेहमोहम्मद ग्राम सिकरावा प्लॉट न0 5 तहसील पुन्हाना जिला मेवात हरियाणा ने प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त कृत्य घरेलू गैस का दुरुपयोग किये जाने, घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से परिवहन करने, अवैध रूप से भण्डारण व खरीद फरोक्त में लिप्त पाये जाने की संदेह श्रेणी में आता है, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्राक्धानों की स्पष्ट अवहेलना किया जाना साबित है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रकरण में जप्तशुदा 19 घरेलू गैस सिलेण्डर्स क्षमता 14.02 किलोग्राम के भरे हुए सीलशुदा मय गैस तथा ए घरेलू गैस सिलेण्डर खाली को राजसात किया जावे।

अप्रार्थीयान बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए, न ही उनके द्वारा जप्तशुदा सामग्री के उचित निस्तारण किये जाने हेतु कोई लिखित जवाब पेश किया गया है।


विभागीय प्रतिनिधी उपस्थित। बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 19.10.2012 को पुलिस थाना भिवाडी से घरेलू गैस सिलेण्डर्स के अवैध क्रय विक्रय किये जाने व 20 घरेलू गैस सिलेण्डर्स के पकडने की सूचना मिलने पर प्रवर्तन स्टॉफ का जॉच दल पुलिस थाना भिवाडी में वास्ते जॉच हेतु पहुंचा। मौके पर अप्रार्थीयान नसीम पुत्र मोहम्मद हारून निवासी मकान न0 2 ग्राम सिकरावा प्लॉट न0 5 तहसील पुन्हाना जिला मेवात हरियाणा, जावेद पुत्र फतेहमोहम्मद ग्राम सिकरावा प्लॉट न0 5 तहसील पुन्हाना जिला मेवात हरियाणा द्वारा एक गाडी बिना नम्बर की पिकअप मैक्स में 19 घरेलू गैस सिलेण्डर्स भरे एवं 1 गैस सिलेण्डर खाली पाया गया, जो घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से परिवहन करने, अवैध रूप से भण्डारण व खरीद फरोक्त में लिप्त पाए जाने एवं वक्त जॉच मौके पर उक्त 20 सिलेण्डर्स के दस्तावेजावेज प्रस्तुत नहीं करने पर एलपीजी कन्ट्रोल ऑर्डर 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है, उक्त आदेश की अवहेलना पाये जाने पर मौके से 20 एलपीजी सिलेण्डर्स 19 सिलेण्डर्स भरे सीलशुदा व 1 खाली को जप्त सरकार किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से मैसर्स भिवाडी इण्डेन गैस सर्विस को सुपुर्दगी में दिया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। एवं विभागीय प्रतिनिधी की बहस का मनन किया। उक्त प्रकरण में प्रवर्तन निरीक्षक मुख्यालय अलवर हाल, खैरथल-तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान) द्वारा एलपीजी कन्ट्रोल ऑर्डर 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है, उक्त आदेश की अवहेलना पाये जाने पर मौके से 20 एलपीजी सिलेण्डर्स 19 सिलेण्डर्स भरे सीलशुदा व 1 खाली को जप्त सरकार किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रवर्तन निरीक्षक मुख्यालय अलवर हाल, खैरथल-तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान) द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक मुख्यालय अलवर हाल, खैरथल-तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान) द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं, प्रकरण में जप्तशुदा 20 एलपीजी सिलेण्डर्स 19 सिलेण्डर्स भरे सीलशुदा व 1 खाली गैस सिलेण्ड को सुरक्षा की दृष्टि से मैसर्स भिवाडी इण्डेन गैस सर्विस को सुपुर्दगी में दिया गया है, से वापिस प्राप्त कर नियमानुसार राजसात की कार्यवाही सुनिश्चित करे। एवं की गयी कार्यवाही से न्यायालय को अवगत करावे। निर्णय प्रमाणित प्रति प्रवर्तन निरीक्षक मुख्यालय

अलवर हाल, खैरथल-तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान) को भिजवायी जावे।  
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय  
में सुनाया गया।

  
(किशोर कुमार)  
जिला कलक्टर एवं जिला  
मजिस्ट्रेट खैरथल-तिजारा